राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005

(दूरभाष नं.:– 0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)एस 2671/2013)/अलेसे–II/844 दिनांक :– 14-5-25

कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान मुख्यालय
1	2	3	4	5	6
1	11330	श्रीमती सलमा शेख	UGC- NET June-2025	UGC-NTA	पारिवारिक न्यायालय संख्या–02, बीकानेर।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. उपर्युक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रहने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
6. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)एस 2671/2013)/अलेसे–II/844 दिनांक :– 14-5-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय नं.– 02 बीकानेर।
2. श्रीमती सलमा शेख, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पारिवारिक न्यायालय नं. 02 बीकानेर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

D:\SAS-II\PRIYANKA JI\N.O.C ANAPATTI PRAMAN PATRA.DOCX :- 33